

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1940 (श0) (सं0 पटना 748) पटना, शुक्रवार, 3 अगस्त 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

3 अगस्त 2018

सं० एल0जी0-01-07/2018/78/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम11, 2018)

बिहार वित्त अधिनियम, 2018

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), का संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -

- (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो वाणिज्य—कर आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, अधिसूचना के माध्यम से नियत करे।
- 2. बिहार मुल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन |-
- (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 3. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), में संशोधन।—
 - (i) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समृह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (iii) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (iv) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (v) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948) में संशोधन।
- (i) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 5. बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988) में संशोधन।—
- (i) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य–कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 6. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 2018 (अधिनियम 4, 2018) में संशोधन।-
- (i) विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iii) विहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 7. बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम ८, 2007) में संशोधन।-
- (i) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर उपायुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर उपायुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर अपर आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (v) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी 'वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' या ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (vi) बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 8. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011) में संशोधन।—
 - (i) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर पदाधिकारी" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर उपायुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (iii) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी "वाणिज्य—कर उपायुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (iv) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर अपर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (v) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी "वरीय वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त" या "वाणिज्य—कर अपर आयुक्त" शब्द समूह अंकित है, को "राज्य कर विशेष आयुक्त" शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (vi) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में जहाँ कहीं भी ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' शब्द समूह अंकित है, को ''राज्य कर आयुक्त'' शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 9. विधिमान्यकरण—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (अधिनियम 16, 1993), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम 35, 1948), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 5, 1988), बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (अधिनियम 4, 2018), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 (अधिनियम 8, 2007), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (अधिनियम 10, 2011), में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—
 - (क) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर पदाधिकारी'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर सहायक आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
 - (ख) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर उपायुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
 - (ग) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर उपायुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर संयुक्त आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
 - (घ) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर अपर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
 - (ड़) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर अपर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर विशेष आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।
 - (च) किसी भी कार्यवाही, चाहे वह इस संशोधन के लागू होने से पहले प्रारंभ किया गया हो, में ''वाणिज्य—कर आयुक्त'' का कोई संदर्भ आने पर, नियत तारीख या उसके बाद किसी समय ''राज्य कर आयुक्त'' के संदर्भ में समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन ,

सरकार के सचिव।

3 अगस्त 2018

संo एलoजीo-01-07/2018/79/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2018 को अनुमत बिहार वित्त अधिनियम, 2018 का निम्निलिखत अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन , सरकार के सचिव।

(THE BIHAR ACT 11, 2018) THE BIHAR FINANCE ACT, 2018

AN

ACT

PREAMBLE: TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 270F 2005), THE BIHAR TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS FOR CONSUMPTION, USE OR SALE THEREIN ACT, 1993 (BIHAR ACT 16 OF 1993), THE BIHAR ENTERTAINMENT TAX ACT, 1948 (BIHAR ACT 35 OF 1948), THE BIHAR TAXATION ON LUXURIES IN HOTELS ATC, 1988 (BIHAR ACT 5 OF 1988), THE BIHAR ELECTRICITY DUTY ACT, 2018 (BIHAR ACT 4 OF 2018), THE BIHAR TAX ON ADVERTISEMENTS ACT, 2007 (BIHAR ACT 8 OF 2007) AND THE BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMETNS ACT, 2011 (BIHAR ACT 10 OF 2011)

BE it enacted by the Legislature of the state of Bihar in the sixty ninth year of the Republic of Indian as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2018.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as the Commissioner Commercial Taxes, Commercial Taxes Department, may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

3. Amendment in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993).—

- Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".

- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

4. Amendment in the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

5. Amendment in the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".

(vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

6. Amendment in the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Bihar Act 4 of 2018).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Electricity Duty Act, 2018 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

7. Amendment in the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 (Bihar Act 8 of 2007).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".
- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".

8. Amendment in the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011).—

- (i) Wherever the group of words "Commercial Taxes officer" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Assistant Commissioner State Tax".
- (ii) Wherever the group of words "Assistant Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Deputy Commissioner State Tax".
- (iii) Wherever the group of words "Deputy Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Joint Commissioner State Tax".

- (iv) Wherever the group of words "Joint Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Additional Commissioner State Tax".
- (v) Wherever the group of words "Senior Joint Commissioner of Commercial Taxes" or "Additional Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Special Commissioner State Tax".
- (vi) Wherever the group of words "Commissioner of Commercial Taxes" exists under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 shall be substituted by the group of words "Commissioner State Tax".
- **9. Validation.** Notwithstanding anything contained in, the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35 of 1948), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Bihar Act 4 of 2018), Bihar Tax on Advertisements Act, 2007 (Bihar Act 8 of 2007) and the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act 10 of 2011).—
 - (a) any reference to a Commercial Taxes Officer in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date, be construed as a reference to an Assistant Commissioner State Tax;
 - (b) any reference to an Assistant Commissioner of Commercial Taxes in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date, be construed as a reference to a Deputy Commissioner of State Tax;
 - (c) any reference to a Deputy Commissioner of Commercial Taxes in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date be construed as a reference to a Joint Commissioner of State Tax:
 - (d) any reference to a Joint Commissioner of Commercial Taxes in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date, be construed as a reference to an Additional Commissioner of State Tax;
 - (e) any reference to an Additional Commissioner of Commercial Taxes in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date, be construed as a reference to a Special Commissioner of State Tax;
 - (f) any reference to Commissioner of Commercial Taxes in any proceeding, whether initiated before the coming into force of these amendments, shall, on or after the appointed date, be construed as a reference to a Commissioner of State Tax.

By order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 748-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in